(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4215—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—11—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज, जिला—विदिशा के प्रकरण क्रमांक 01/अ—6/2012—13/निगरानी

.....

गोविंद सिंह पुत्र दीवान सिंह
निवासी—ग्राम खजूरी वर्फी
तहसील गुलाबगंज, जिला —विदिशा,(म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— रामरतन पुत्र धारूसिंह रघुवंशी
निवासी— ग्राम नौलई, तहसील ग्यारसपुर
जिला —विदिशा,(म0प्र0)

2— रूपराम पुत्र खुशालसिंह रघुवंशी
निवासी— पॉझ, तहसील व जिला—विदिशा (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 8.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज, जिला—विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—11—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम करारिया, तहसील ग्यारसपुर टप्पा, गुलाबगंज, जिला—विदिशा में स्थित विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र0 116 रकबा 1.191, लगान 9.50 है0 का

नामांतरण कराने हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र0 01/अ–6/2012–13/निगरानी पर पंजीबद्ध किया गया। अनावेदकगण को सूचित किया गया । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान स्वत्व का विवाद पैदा हो गया इस कारण आवेदक ने एक प्रकरण स्वत्व घोषणा हेतु माननीय सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय विदिशा के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत कर यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि आवेदक ने एक दावा स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु माननीय सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अतः विचाराधीन कार्यवाही स्थगित किया जावे। किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार न करते हुये आवेदक का आवेदन–पत्र आलोच्य आदेश दिनांक 27.11.14 से निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि उक्त विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण जब सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व घोषणा का विचाराधीन है तब ऐसी स्थिति में तहसीलदार को आवेदक का धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा कर कार्यवाही स्थिगित की जानी थी, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को उनके पिता स्व0 दीवानसिंह पुत्र गंगाराम द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी अनावेदक का अधिपत्य नहीं रहा है, न ही स्वामित्व रहा है। अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रश्नधनी भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया था, जिसका प्र0क्र0 149ए/76 है, जिसमें आवेदक के पिता को भूमिस्वामी के रूप में स्वीकार करते हुये राजीनामा पेश किया गया और अनावेदक क्र0 1 का दावा आवेदक के पिता को भूमिस्वामी मानते हुये समाप्त कर दिया गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय को आवेदक के आवेदन पत्र पर सुनवाई की जाकर माननीय सिविल न्यायालय के आदेश तक कार्यवाही स्थिगित की जानी थी, जिससे स्वत्व के प्रश्न का निराकरण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कर दिया जाता, जिससे स्वत्व के प्रश्न का निराकरण माननीय सिविल न्यायालय द्वार कर दिया जाता । जिससे तहसील न्यायालय को नामांतरण सिविल डिक्री के अनुसार किया जा सकात था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है।

ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम करारिया, तहसील ग्यारसपुर टप्पा, गुलाबगंज, जिला—विदिशा में स्थित विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र0 116 रकबा 1.191, लगान 9.50 है0 का नामांतरण कराने हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र0 01/अ—6/2012—13/निगरानी पर पंजीबद्ध किया गया। अनावेदकगण को सूचित किया गया । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान स्वत्व का विवाद पैदा हो गया इस कारण आवेदक ने एक प्रकरण स्वत्व घोषणा हेतु माननीय सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय विदिशा के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत कर यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि आवेदक ने एक दावा स्वत्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु माननीय सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अतः विचाराधीन कार्यवाही स्थगित किया जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का खण्डन करते हुये अनावेदक की ओर से मौखिक जवाब में उल्लेख किया कि सिविल न्यायालय से कोई स्थंगन आदेश नहीं होने से राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। तहसील न्यायालय द्वारा भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र एवं अनावेदक के पक्ष समर्थन द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किये जाने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि यदि राजस्व न्यायालय में नामांतरण कार्यवाही प्रचलित है और उसी दौरान सिविल वाद पेश कर दिया गया है तो राजस्व न्यायालय में विचाराधीन नामांतरण कार्यवाही को रोका जाना विधिसंगत नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र के आधार पर विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है। इसी कारणवश आवेदक का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । मैं तहसील न्यायालय के आदेश सहमत हूँ। तहसीलदार गुलाबगंज, जिला—विदिशा द्वारा पारित आदेश से मैं कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

3/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गुलाबगंज जिला—विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर